

“भारत में बढ़ता महिलाओं का यौन उत्पीड़न”

शोधार्थी – चंचला चौहान

शोध पर्यवेक्षक – प्रोफेसर एम ०पी वर्मा

विधि विभाग मेरठ कॉलेज मेरठ

शोध सारांश

भारत में यौन हिंसा दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे लाखों महिलाएँ प्रभावित होती जा रही हैं। समाज तो प्रारम्भ से ही महिलाओं को हाशिए पर रखता आ रहा है। लिंग भेद भी महिलाओं के उत्पीड़न में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, महिलाएँ उत्पीड़ित तो होती ही हैं। लैंगिक असमानता, गरीबी, अपराधिक न्याय प्रणाली भी इनके उत्पीड़न में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सत्ता यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएँ लेकर आ रही है, परन्तु इनका विशेष प्रभाव यौन हिंसा पर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। सरकार को चाहिए कि वह कड़ाई से इन योजनाओं के पालन के लिए प्रशासन को जिम्मेदारी दे ताकि यौन हिंसा को न केवल रोका जा सके बल्कि जड़ से समाप्त भी किया जा सके।

बीज शब्द – यौन हिंसा, समाज, सत्ता, प्रशासन, महिला आदि।

यौन उत्पीड़न का अर्थ है— किसी भी महिला के प्रति अवांछित रूप से किया गया व्यवहार— (जैसे— अश्लील टिप्पणियाँ, किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध परेशान करना, अपमानित करना आदि)। यौन उत्पीड़न मानव को शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत अधिक प्रभावित करता है।— “यौन उत्पीड़न बदमाशी या एक यौन स्वभाव की जबरदस्ती या यौन अनुग्रह के बदले में अवांछित या अनुचित वादा करना है।... अमेरिका ईओक (EEOC) द्वारा दी गई परिभाषित के रूप में— किसी व्यक्ति (एक आवेदक या कर्मचारी) के लिंग के आधार पर उसे परेशान करना गैर कानूनी है।”¹

यौन उत्पीड़न से सबसे अधिक त्रस्त महिलाएँ ही होती हैं। ऐसी महिलाओं को समाज सिम्पेटी के साथ-साथ उपेक्षा से भी देखता है। और महिलाओं को ही इसके लिए जिम्मेदार मानता है। दिन-प्रतिदिन

यौन उत्पीड़न बढ़ ही रहा है। महिलाओं पर हो रहे यौन उत्पीड़न विभिन्न प्रकार के हैं— मौखिक यौन उत्पीड़न, गैर—मौखिक यौन उत्पीड़न, शारीरिक यौन सम्पर्क, महिला पर किए गए एहसानों की मांग और धमकी आदि।

भारत में यौन उत्पीड़न केवल महिला की गलतियों के कारण ही नहीं होता है बल्कि दो समुदायों या जातियों की आपसी रंजीश की कीमत भी महिलाओं को यौन उत्पीड़न के रूप में चुकानी पड़ती है वह बिना किसी गलती के ही सिर्फ महिला होने के कारण इसका शिकार बनती है और प्रशासन कुछ करने के बजाय मूक दर्शक बना। इसका जीता-जागता उदाहरण है मणिपुर की घटना। — “नशे में धुत मीतेई पुरुषों और लड़की के एक समूह, जिसमें से कुछ की उम्र 15 साल थी, ने कथित तौर पर एक महिला और किशोरी लड़की को घसीटा और उनका बलात्कार किया।... महिलाओं पर कथित तौर पर उनके कार्यस्थल पर एक भीड़ द्वारा हमला किया गया था। जो कुकी महिलाओं को निशाना बना रही थी। इन महिलाओं का कथित तौर पर एक कमरे में बंद कर दिया गया और दो घंटे तक शारीरिक हिंसा का शिकार होना पड़ा और बाद में वे मृत पाई गईं।... महिलाओं और लड़कियों पर कथित तौर पर उनके घरों में हमला किया गया, उन्हें सड़क पर घसीटा गया, प्रताड़ित किया गया।”²

महिलाओं के लिए समाज ने सदैव ही दोयम दर्जे का रूप अपनाया है। महिला चाहे किसी भी समाज— (हिन्दू समाज, मुस्लिम समाज, सिक्ख समाज, ईसाई समाज आदि) की हो, उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता है। जब किसी महिला को; महिला ने समाज उसे किसी समाज के साथ जोड़ दिया जाता है, तो उसकी दशा और भी शोचनीय हो जाती है। यहीं स्थिति हुई बिलकिस बानो के साथ। वे एक मुस्लिम समाज की गर्भवती महिला थी जिसके साथ हिन्दू समाज के “पुरुषों ने बलात्कार किया। हद तो तब हो गई जब वे ही सजा पाये पुरुषों का सत्ता शीर्ष अपने घमंड चूर होकर उनके इस धिनौने अपराध को माफ करके; न्यायपालिका को अपने हाथों की कठपूतली समझकर, रिहा करा कर मंच पर

ससम्मान अपने साथ बैठाते हैं। इससे न केवल समाज का खोखलापन दिखाई देता है बल्कि सत्ता शीर्ष का दोगलापन भी उभर कर आता है— “बिलकिस बानो मामले की जांच गुजरात पुलिस से छीनकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी गई थी और मुकदमा मुंबई स्थानांतरित किया गया था, जिसके बाद इन पुरुषों को मुंबई के एक सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनायी थी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनकी समय-पूर्व रिहाई का मार्ग प्रशस्त किये जाने और रिहा हुए व्यक्तियों को उनके समर्थकों द्वारा माला पहनाये जाने से जो शर्मनाक कहानी शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने उसका अब समापन कर दिया।... दोषियों के पक्ष में आदेश पारित करने के लिए कारण के रूप में अदालत के निर्देश का हवाला देने के मामले में राज्य सरकार शक्ति हड़पने की दोषी है।”³

भारत में महिलाएँ कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। फिर चाहे वो शिक्षण स्थान ही क्यों न हो। हाल ही में कोलकाता में एक छात्रा जो डाक्टर की पढ़ाई कर रही थी उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है और उसकी जान तक चली गई। प्रशासन ने इस पर लापरवाही तो बरती ही साथ पीड़िता डाक्टर पक्ष में आवाज उठाने वाली महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ जैसे मामले सामने आ रहे— “पश्चिम बंगाल में हजारों महिलाओं ने बुधवार रात प्रदर्शन किया। इसे रिक्लेम द नाइट नाम दिया गया। हालांकि इस दौरान दो जगह प्रदर्शन कर रही महिलाओं से छेड़छाड़ हुई। पहली घटना कोलकाता के जादवपुर की है। जहाँ एक बस स्टैंड पर एक व्यक्ति ने महिला के साथ गलत हरकत की। वहीं दूसरी घटना साउथ कोलकाता के गरिया इलाके की है। यहाँ नशे की हालत में एक शख्स ने कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया।”⁴

भारतीय समाज ने महिलाओं को सदैव ही दोयम दर्जे पर रखा है उसमें भी निचले वर्ग की महिलाएँ की स्थिति तो और भी अधिक शोचनीय है। उस वर्ग में महिलाओं के साथ कुछ भी घटित होता रहे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है सभी और से जैसे आँख मूंद कर बैठ जाते हैं। जब इनकी सुनवाई कहीं पर भी नहीं होती है तब ये तत्कालीन प्रधानमंत्री के पास अपनी गुहार लगाने आते हैं और स्थिति का बड़ा

ही मार्मिक और दुखद घटना का वर्णन करते हैं— “हरिजन: समर्थ लोग हैं वे, हमारी इज्जत लूटते हैं। हमें मार दिया जाता है। हमारी बहू-बेटियों की सरेआम इज्जत लूट ली जाती है। मनीषा जैसा कांड होता है तो देश के सारे अख़बार वाले बड़ी-बड़ी सुर्खियों में छाप देते हैं; परन्तु हमारी इस बात के बारे में अख़बार वाले भी चुप रहे। कोई अख़बार वाला इसे नहीं निकाल सका। अब हमारी आखिरी दरखास्त आपसे है, क्योंकि हम अपनी बहू-बेटियों की इज्जत लूटते हुए कैसे देखें।”⁵

आज पुरुष के ऊपर वासना इतनी अधिक हावी हो चुकी है कि अपनी वासनापूर्ति के लिए एक बच्ची को तक नहीं छोड़ रहा है। ये समाज को खोखलापन तो है ही साथ ही इससे मानवता इंसानियत भी शर्मशार हो रही है। यह घटना भी हाल ही में घटित हुई है कि एक अधेड़ व्यक्ति एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी— “देश की राजधानी में नौ साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या ने इंसानियत को शर्मशार कर दिया है। दयालपुर थाना क्षेत्र के नेहरू विहार इलाके शनिवार रात हुई यह वारदात दिल्ली को झकझोर देने वाली है। बच्ची के साथ वारदात पांच मंजिला मकान के दूसरे तल पर फ्लैट में हुई थी, जो उसके घर से 50 मीटर की दूरी पर है। यह फ्लैट आरोपित नौशाद का है। आरोपित ने बच्ची के शव को सूटकेस में डालकर फ्लैट के दरवाजे पर ताला लगा दिया था। बच्ची के गायब होने पर स्वजन उसे ढूँढने लगे।... आरोपित ने उनकी बच्ची को अपने फ्लैट का दरवाजा खोलने के लिए ऊपर बुलाया था। इस पर स्वजन जब आरोपित के फ्लैट तक पहुँचे तो वह दरवाजे पर खड़ा था।”⁶

यह इस देश की विडम्बना ही है कि मानव आज कहाँ से कहाँ जा रहा है और इसे न तो समाज, न ही प्रशासन और न ही सत्ताशीर्ष पर बैठे हुए लोग रोक पा रहे।

फिल्म उद्योग में प्रवेश देने के लिए महिलाओं का शोषण किया जाता है। यहाँ यौन उत्पीड़न आम समस्या है। वहाँ पर महिलाओं से ये अपेक्षा रहती है कि यदि वे फिल्मों में काम करेंगीं तो उन्हें यौन सम्बन्ध बनाने ही पड़ेगे। इसके लिए महिला को ब्लैकमेल भी किया जाता है। मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाएँ

हिरोइन के लिए लगभग आवश्यक रूप है। जस्टिस हेमा की अगुवाई में आई रिपोर्ट इसका खुलासा करती है किस प्रकार यहाँ महिलाओं का शोषण किया जाता है।— “290 पन्नों की इस रिपोर्ट के 44 पन्ने गायब हैं क्योंकि इन पन्नों में महिलाओं ने अपने साथ शोषण और उत्पीड़न करने वाले पुरुषों के नाम बताए थे। रिपोर्ट से हटाए गए दूसरे हिस्से के ठीक बाद यौन उत्पीड़न की शिकार एक महिला का जिक्र है, जिन्हें उस शख्स के साथ पति और पत्नी के तौर पर भूमिका निभानी पड़ी और गले लगाना पड़ा, जिससे एक दिन पहले ही उनका यौन उत्पीड़न किया था। रिपोर्ट में कहा गया, यह बहुत भयानक था शूटिंग के दौरान महिला के साथ जो कुछ हुआ था।”⁷

महिलाएँ चाहे कहीं भी रहे उनका यौन उत्पीड़न प्रत्येक जगह होता रहता है। कोई भी जगह इससे अछूती नहीं रहती है। खेल जगत भी इससे अछूता नहीं रहा है। कुछ समय पहले मदिला रेसलरों ने संसद बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए गए थे “जनवरी 2023 में भारत के टॉप रेसलर में शामिल बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की अगुवाई में पहलवानों ने जंतर-मंतर पर आन्दोलन शुरू किया था। उनका आरोप था कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष रहने के दौरान भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न किया था... पांच महिला पहलवानों की शिकायतों के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए गए हैं।”⁸ यह खेल अध्यक्ष का ही नहीं, बल्कि राजनीति का खोखलापन भी है कि जो लोग महिलाओं की रक्षा का दम्भ भरते हैं वे ही उनका शोषण सत्ता की आड़ में करते रहते हैं।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि महिलाओं पर यौन उत्पीड़न निरन्तर बढ़ रहा है। किसी भी क्षेत्र में महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं। हालांकि सरकार इसे रोकने के लिए कितनी ही योजनाएं बना रही हैं। और प्रशासन भी अपनी ओर से इसे रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा है। महिलाओं को भी अपने ऊपर हो रहे

शोषण को रोकने के लिए सजग रहना चाहिए क्योंकि महिलाओं के पास ऐसी शक्ति होती है कि वह पहले ही अपने ऊपर होने वाले खतरे को भाँप लेती है।

सन्दर्भ सूची:

1. <https://hi.wikipedia.org>
2. www.forbes.com, 22 Nov. 2023
3. The Hindu, 09 January 2024
4. दैनिक भास्कर, 3 सितम्बर 2024
5. डॉ० प्रीति देवी, हाशिए का समाज और प्रतिरोध : रामशरण जोशी की पत्रकारिता, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा० लिमिटेड नई दिल्ली, संस्करण-2025, पृ०सं०-66
6. जागरण, 8 जून 2025
7. BBC News, 22 अगस्त 2024
8. Navbharat Times, 26 May 2025